अनुस्मारक-1

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020—21/8863 लखनऊ/दिनांक 25-03-2021

**विषयः—विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0—5.3 के आलोक में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019—20/7977, दिनांक 15.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद—5.3 के आलोक व लोक स्वास्थ्य के हित में उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583/पांच—07—2019, दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा निर्देशों का जनपद स्तर पर भी अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन की लोक स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जनपद के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में निम्न पठनीय साइनेज/घोषणा पत्र लगवाने का कष्ट करें।

**—:घोषणाः—**

हम फ्रेमवर्क कन्वेन्शन आन टोबैको कन्ट्रोल (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में जन स्वास्थ्य नीतियों में व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग —7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583/पांच—07—2019, दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन करते हैं ।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
जनपद—

भवदीय

(हस्ताक्षर)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020—21/ तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1— स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
2— उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3— अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रदेश के समस्त जनपदों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

अनुस्मारक-1

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020—21/ लखनऊ/दिनांक- 25-03-2021

**विषयः—विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0—5.3 के आलोक में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019—20/7977, दिनांक 15.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद—5.3 के आलोक व लोक स्वास्थ्य के हित में उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583/पांच—07—2019, दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा निर्देशों का जनपद स्तर पर भी अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन की लोक स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जनपद के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में निम्न पठनीय साइनेज/घोषणा पत्र लगवाने का कष्ट करें।

**—:घोषणाः—**

हम फ्रेमवर्क कन्वेन्शन आन टोबैको कन्ट्रोल (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में जन स्वास्थ्य नीतियों में व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग —7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583/पांच—07—2019, दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन करते हैं ।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
जनपद—

भवदीय

/

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020—21/8864-66 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1— स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
2— उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3— अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रदेश के समस्त जनपदों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)